



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 172]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 16, 2016/फाल्गुन 26, 1937

No. 172]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 16, 2016/ PHALGUNA 26, 1937

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2016

सा.का. नि. 314(अ).— केन्द्रीय सरकार, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 की उप-धारा (7क) के खंड (ख) के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 की उप-धारा (2) के खंड (ककक) और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी विनिधान) नियम, 2015 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी विनिधान) संशोधन नियम, 2016 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी विनिधान) नियम, 2015, में
(1) नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम को रखा जाएगा, अर्थात्:
“5. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा सत्यापन के अध्यक्षीन, विदेशी विनिधान प्रस्ताव, भारतीय बीमा कंपनी की कुल संदत्त इक्विटी का उनचास प्रतिशत तक स्वचलित मार्ग से अनुज्ञात किया जा सकेगा।”
(2) नियम 6 का लोप किया जाएगा।

[फा.सं. 12018/1/2006-बीमा-IV]

आलोक टण्डन, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण में 19 फरवरी, 2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.115(अ) में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उन्हें सा.का.नि 534(अ) तारीख 3 जुलाई, 2015 द्वारा अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2016

G.S.R. 314(E).— In exercise of the powers conferred by clause (aaa) of sub-section (2) of section 114 of the Insurance Act, 1938 read with clause (b) of sub-section (7A) of section 2 of the Insurance Act, 1938 and section 24 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015, namely:—

1. (1) These rules may be called Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Amendment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015,
 - (1) for rule 5, the following rule shall be substituted, namely:—

“5. The Foreign Investment proposals up to forty-nine per cent of the total paid up equity of the Indian Insurance Company shall be allowed on the automatic route subject to verification by the Insurance Regulatory and Development Authority of India”.
 - (2) rule 6 shall be omitted.

[F. No. 12018/1/2006-Ins.IV]

ALOK TANDON, Jt. Secy.

Note: - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification number G.S.R. 115(E), dated the 19th February, 2015 and subsequently amended by notification vide number G.S.R. 534 (E), dated the 3rd July, 2015.